तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.24	पत्रावली पेश हुई। सुनवाई हेतु आवाज पर अधिवक्ता वादीगण हाजिर आये। अधिवक्ता वादीगण के निवेदन पर बहस अधिवक्ता वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। वादीगण के द्वारा हस्तगत वाद के जरिये वर्तमान में दर्ज राजस्व ग्राम काकंरिया तहसील खेतडी स्थित राजकीय (सिवायचक) भूमि खसरा नम्बर 202 रकबा 0.19 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.21 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 205 रकबा 0.45 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.63 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 207 रकबा 0.04 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.73 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 209 रकबा 0.46 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.46 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.47 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.62 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.40 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.65 हेक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 5.31 हेक्टेयर में से 1/4 हिस्से की, जो पूर्व में निष्क्रान्त (कस्टोडियन) कृषि भूमि दर्ज रही है, की धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत खातेदारी चाही गई है। वादीगण के वाद पत्र में वर्णित तथ्यानुसार निष्क्रान्त (कस्टोडियन) भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत राजस्व विभाग के नियमों/अधिनियमो/परिपत्रों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। राजस्व (पुनर्वास) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 1 (15) राजस्व/ पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 06.10.2009 के अनुसार ऐसी निष्क्रान्त कृषि भूमि जिसका आवटन अभी तक नही किया गया है, के संबंध मे राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी समस्त निष्क्रान्त कृषि भूमि जिसका आवटन अभी तक नहीं किया गया है को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज करना है। तदोपरान्त इस प्रकार की निष्क्रान्त कृषि भूमि समस्त उदेश्यों के लिए सिवायचक भूमि हो जायेगी तथा सिवायचक भूमि के संबंध में जितने भी प्रावधान विभिन्न राजस्व अधिनियमों/नियमों/ परिपत्रों/आदेशों मे है वे सभी इस प्रकार की भूमि पर भी लागू हो जायेगें। भविष्य में इस प्रकार की समस्त	

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी

भूमि का आवंटन तदानुसार किया जाना है। राजस्व (पुनर्वास) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 1 (15) राजस्व/पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 06.10.2009 के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि वर्तमान में राजकीय (सिवायचक) खाता संख्या 1 में दर्ज रिकार्ड है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 9 (79) रेवेन्यू-6/2011/23 दिनांक 03.10.2013 से राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन) नियम-1963 के नियम 6 (4) में संशोधन कर निष्क्रान्त भूमि पर **उपकृषकों** के रूप में जिनका नाम दर्ज है उनका **कब्जा** मानते हुये राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 20 के तहत नियमन का प्रावधान किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2013-2016, खाता संख्या 14 राजस्व ग्राम काकंरिया में दर्ज वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार अहमद गुलामूदीन पी. समदखा जोजे दीना कमरूदीन असरफखां पि. मोहम्मद खां आदि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी नाराणा, पीथा पिता किशना जाति माली निवासी काकंरिया की हैसियत केवल उपकृषक/उपधारी की रही है। वादग्रस्त भूमि विभिन्न राजस्व अधिनियमों/नियमों/परिपत्रों/आदेशों के परिप्रेक्ष्य में ही राजकीय दर्ज रिकार्ड हुई है। इसलिये कब्जे के आधार पर वर्तमान राजकीय भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के प्रावधान लागू नहीं होते है। लिहाजा

-: आदेश :-

अतः वादीगण का हस्तगत वाद पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी, जिला- नीमकाथाना (राज.))

22-8-24

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी